मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 271/2024

राहुल पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन 3 बी.एच.एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

वादी

1. सुमित्रा उर्फ शिमला पत्नी सुरजाराम जाति जाट साकिन 3 बी.एच.एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :–22/08/25

वादी की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री सद्दाम हुसैन अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

वादी को चक 3 बी.एच.एम–ए के खाता स. 27/51 के प.न. 90/375 के मु.न. 18 के किला न. 1 ता 19, 25 की 5.0600 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि में प्रतिवादिया स. 1 का 1687/5060 हिस्सा यानिकी 1.687 हैक. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। सुमित्रा उर्फ शिमला का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 22/08/25..... को **मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।**

(उमा मित्तल आर.ए.एस.**)**
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:51:38 IST
Reason: SelfAttested